

[श्री रामावतार शास्त्री]

बिहार एवं काठिन में ऐसे विद्यालयों की संख्या सब से अधिक है ।

जिन प्राथमिक विद्यालयों में तीन अंशपत्र हैं उनकी संख्या 71,658 है । इसी प्रकार 38,726 स्कूलों में प्रत्येक में चार अंशपत्र तथा 24,908 स्कूलों में प्रत्येक में पांच अंशपत्र हैं ।

कुल 4,74,636 प्राथमिक विद्यालयों में 8.85 प्रतिशत ही ऐसे स्कूल हैं जहाँ पांच से अधिक अंशपत्र हैं । राष्ट्रीय स्तर पर औसत छात्र अंशपत्र अनुपात प्राइमरी स्तर पर 41 छात्रों के पीछे एक अंशपत्र, मिडल स्तर पर 25 छात्रों पर एक अंशपत्र तथा सेकेंडरी एवं हायर सेकेंडरी स्तर पर 18 छात्रों पर एक अंशपत्र है ।

शिक्षा के प्रति भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के लिए ये आंकड़े इस बात के ज्वलंत उदाहरण हैं कि हमारी भावी पीढ़ी के प्रति सरकार का रवैया क्या है ? क्या सरकार इसी प्रकार से देश के उत्थान में नौजवानों एवं छात्रों का सहयोग चाहती है ? इस और भारत सरकार को विशेष ध्यान दे कर प्राइमरी स्कूलों की इस दयनीय स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकारों को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए । इस दिशा में अब और विलम्ब करना देश के लिए घातक सिद्ध होगा ।

(vi) Closure of Banaras Hindu University

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों एवं डाक्टरों के बीच संघर्ष हो जाने के कारण काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के चिकित्सा विज्ञान संस्थान का सर सुन्दर लाल अस्पताल बन्द हो गया है जिससे जनता को चिकित्सा सम्बन्धी भीषण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । संघर्ष इतना बढ़ गया है कि

पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा है और विश्वविद्यालय परिसर में अनेक प्रकार की हिंसा की घटनाएँ हुई हैं तथा विश्वविद्यालय अनिश्चित काल के लिए बन्द हो गया है । चूँकि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है अतः भारत सरकार को तत्काल उक्त मामले में हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान करना चाहिए अन्यथा स्थिति और भी अधिक बिगड़ सकती है जो उक्त विश्वविद्यालय तथा छात्रों एवं जनता के हित की दृष्टि से अत्यन्त घातक सिद्ध होगा । विश्वविद्यालय का शीघ्र खोला जाना छात्रों की पढ़ाई के लिए अति आवश्यक है ।

(vii) ACTION AGAINST SOME OFFICIALS OF RED CROSS SOCIETY CHARGED FOR BREACH OF TRUST

SHRI GEORGE FERNANDES (Muzaffarpur): Sir, under rule 377, I wish to raise the following:

The metropolitan Magistrate, Mr. Jawant Singh has day before Yesterday issued summons to major General S. S. Maitra (Retd.) Mr. Ajit Bhowmik, Vice Chairman and Joint Secretary respectively of the Indian Red Cross Society, and three other employees of the Society to appear before him on May 30 in a case of criminal breach of trust in respect of funds and relief material, to the tune of Rs. 11 crores, meant for the Bangladesh refugees.

The order summoning them was made by the Magistrate after he, on the basis of the testimony of the witnesses examined before him to give preliminary evidence, came to the conclusion that a *prima facie* case against them had been established.

The case has been instituted by Mr. Mehar Chand Yadav, former Deputy Chairman of the Delhi Water Supply and Sewage Disposal Undertaking and All-India treasurer of the Socialist Party of India. In his criminal complaint

to the Court, Mr. Yadav had alleged that the the five accused had, in relation to the relief material, committed offences of criminal breach of trust and defalcation of accounts in furtherance of a criminal conspiracy. The relief material had been donated by various humanitarian international organizations for the Bangladesh refugees.

In the circumstances, the concerned officials must be suspended from posts forthwith and prevented from causing further damage to the to the interests of the Red Cross Society and to its activities.

(viii) REMUNERATIVE PRICE FOR BIDI-TOBACCO GROWERS IN GUJARAT

श्री सोती माई आर० चौधरी (मेहसना) :
अध्यक्ष महोदय, गुजरात में जो ज्यादातर पैमाने में देशी तम्बाकू-बोड़ी तम्बाकू पैदा होती है, उसके मूल्य में भारी गिरावट आई है, जिससे वहाँ के तम्बाकू किसान बहुत कठिनाई में हैं। जिसका दाम 80 से 200 रुपये प्रति मन होना चाहिए, वह अभी 20 से 40 रुपये प्रति मन से अधिक दाम नहीं मिल रहा है। इससे किसानों में बहुत अंतोष है। सन् 1978 में ऐसे ही तम्बाकू के दाम गिर गये थे, तभी उस समय की जनता सरकार ने नाफ्रेड द्वारा उचित दाम पर तम्बाकू खरीदने का इन्तजाम करके किसानों को बचाया था। उसी तरह एस० टी० सी० या नाफ्रेड द्वारा उचित दाम पर तम्बाकू खरीदने का गुजरात में इन्तजाम किया जाये जिससे कि किसानों को सरकारी क्रय-व्यवस्था के माध्यम से लाभप्रद मूल्य मिल सके। गुजरात तम्बाकू बाजार समिति ने भी ऐसी मांग की है। इस पर फौरन ध्यान दिया जाये और स्थाई रूप से देशी तम्बाकू पकाने वाले किसानों को उचित दाम पर तम्बाकू खरीदने की व्यवस्था मिल सके। इसलिए तम्बाकू

बोर्ड के कानून के अन्तर्गत इस तम्बाकू को भी लाया जाये। इस हेतु भारत सरकार ने जो निष्णात समिति बनाई थी, उसने भी यही सिफारिश की है तो इस बारे में भी जल्दी से प्रावधान करके बोड़ी तम्बाकू पकाने वाले गुजरात के किसानों को मदद की जाये।

12.29 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]
DEMANDS* FOR GRANTS, 1981-82—Contd.

(i) MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now we take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers. Shri Nawal Kishore Sharma.

श्री नवल किशोर शर्मा (दोसा) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैं पेट्रोलियम, कैमिकल्स और फटिलाइजर्स के बजट अनुदानों की मांगों के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूँ। यह मंत्रालय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यह तो सही है कि पिछले साल भर में इस मंत्रालय ने सभी क्षेत्रों में कुछ अच्छे काम करने की कोशिश की है, लेकिन इससे हम संतोष नहीं कर सकते चलेन्जेज बहुत हैं और उनका मुकाबला करने लिये लगातार परिश्रम और निगरानी रखने की जरूरत है।

यह मंत्रालय एक और तेल, क्रूड आयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से संबंधित है, तो दूसरी ओर कृषि के क्षेत्र में अत्यावश्यक फटिलाइजर्स से भी संबंधित है और तीसरी ओर जिन्दगी के लिये जरूरी दवाओं से भी संबंधित है।